

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 83/2012 सत्रवाद

संस्थापित दिनांक 02.03.2012

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र  
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

बनाम

1. धर्मसिंह उर्फ धर्मजीत उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र बाबूसिंह  
कुशवाह 25 साल, निवासी ग्राम आलोरी थाना  
गोहद
2. कलावती उर्फ कल्ली उर्फ कल्ले पत्नी बाबूसिंह  
कुशवाह, उम्र 60 साल, निवासी ग्राम आलोरी  
थाना गोहद
3. बाबूसिंह पुत्र मुंशीसिंह कुशवाह उम्र 65 साल,  
निवासी ग्राम आलोरी थाना गोहद

-----आरोपीगण

---

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री केशवसिंह  
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0क्र0. 62/2012 इ0फौ0  
से उदभूत यह सत्र प्रकरण क्र0 83/2012

---

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।  
अभियुक्त द्वारा श्री राजीव शुक्ला अधिवक्ता

---

//नि र्ण य//

//आज दिनांक 27-08-2015 को घोषित किया गया//

01. आरोपीगण का विचारण धारा 304बी बिकल्प में धारा 302 विकल्प में 302/34, 498ए भा0द0सं0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। उन पर यह आरोप है कि दिनांक 7-1-10 को या उसके आसपास ग्राम आलोरी अंतर्गत थाना गोहद जिला भिण्ड में आप आरोपी धर्मसिंह उर्फ धर्मजीत कुशवाह मृत्तिका रामाबाई के

पति होते हुये तथा बाबूसिंह ससुर तथा आरोपी श्रीमती कल्ली बाई सास होते हुये विवाह के सात वर्ष के अंदर रामाबाई से दहेज की मांग को लेकर के और उसके संबंध में क्रूरता कर परिपीडन कारित करते हुये रामाबाई की दहेज मृत्यु कारित की । वैकल्पिक रूप से उन पर यह भी आरोप है कि उक्त अवधि के दौरान ग्राम आलोरी अंतर्गत थाना गोहद जिला भिण्ड में मृतिका रामाबाई पत्नी धर्मसिंह उर्फ धर्मजीत कुशवाह की साआशय या जानबूझकर मृत्यु कर हत्या कारित की वैकल्पिक रूप से उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर अन्य सह आरोपीगण धर्मसिंह उर्फ धर्मजीतसिंह, बाबूसिंह, श्रीमती कल्ली के साथ मिलकर मृतिका रामाबाई की हत्या करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उसके अग्रसरण में कार्य करते हुये साआशय या जानबूझकर रामाबाई की मृत्यु कारित कर उसकी हत्या की। उन पर यह भी आरोप है कि दिनांक 29-6-12 से 10-1-13 के बीच ग्राम आलोरी अंतर्गत थाना गोहद में मृतिका रामाबाई के पति और पति के नातेदार होते हुये मूल्यवान संपत्ति की मांग को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर क्रूरता कारित की। उन पर यह भी आरोप है कि दिनांक 29-6-12 से 10-1-13 के बीच मृतिका रामाबाई एवं उसके पिता व परिवारवालों को दहेज की मांग एवं दहेज देने के लिये दुष्प्रेरित किया।

02. यह अविवादित है कि रामाबाई की शादी आरोपी धर्मसिंह के साथ हुई थी। आरोपी बाबूसिंह रामाबाई का ससुर एवं आरोपिया कलावती उर्फ कल्ली सास है। रामाबाई की मृत्यु चार साल पहले होना भी अविवादित है।

03. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 7-1-10 के सुबह 8:10 बजे जे0ए0एच0 ग्वालियर के डॉक्टर प्रदीप प्रजापति द्वारा पुलिस को यह सूचना दी गई कि रामा पत्नि धर्मसिंह निवासी गांव आलौरी थाना गोहद उपचार हेतु भर्ती हुई थी जिसकी आज मृत्यु हो गई है, सूचना देता हूं कार्यवाही की जाये । डॉक्टर प्रजापति की सूचना पर से पुलिस थाना कम्पू जिला ग्वालियर द्वारा मर्ग कायम किया गया मृतिका की लाश का शव पंचायत नामा तैयार किया गया शव का पोस्टमार्टम कराया गया उसके बाद शव को परिजनों को सौंपा गया । उक्त घटना पुलिस थाना गोहद की होने से मर्ग डायरी को पुलिस थाना गोहद भेजा गया । जिस पर से पुलिस थाना गोहद द्वारा मर्ग क्रमांक 30/11 अंतर्गत धारा 174 दण्ड प्रक्रिया संहिता पंजीबद्ध किया गया ।

04. मर्ग क्रमांक 30/11 की जांच अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) गोहद द्वारा की गई । जांच के दौरान यह सामने आया है कि मृतिका रामा की शादी वर्ष 2003 में धर्मसिंह निवासी आलौरी के साथ हिन्दू रीति रिवाज से की गई थी । शादी के बाद रामा अपनी

ससुराल गयी थी । शादी में 40 हजार रुपये नगद और अन्य सामान दिया गया था । शादी के बाद लडकी विदा होकर अपनी ससुराल गयी उसका भाई उसे लिवाने के लिये गया था उसे आरोपी धर्मसिंह के द्वारा दहेज में मोटरसायकिल नहीं देने और मोटरसायकिल भिजवाने के लिये कहा था । रामाबाई में अपनी ससुराल में ही रही उसके पांच साल बाद एक बच्ची पैदा हुयी । बच्ची पैदा होने के बाद उसका पति धर्मसिंह, ससुर बाबू एवं सास कलावती उसे परेशान करने लगे और उससे मारपीट कर मोटरसायकिल की मांग करने लगे । रामाबाई के अन्य दूसरी पुत्री का जन्म मायके में हुआ उसके बाद उसका भाई और अन्य लोग उसे ससुराल ले गये । ससुराल वालों के द्वारा रखने में विवाद किया गया तो इस संबंध में पंचायत जोड़ी गयी पंचायत में उसके ससुराल वालों ने उसे परेशान न करने और दहेज न मांगने के संबंध में आश्वासन दिया था । इसके बाद लडकी रामाबाई अपनी ससुराल में रहने लगी उसका पिता उसका हालचाल पूछने के लिये गया था तो इस दौरान उसके ससुर के द्वारा उसके पिता के साथ मारपीट कर दी थी जिसकी रिपोर्ट थाना गोहद में की थी । दिनांक 23-12-09 को रामाबाई के साथ आरोपीगण के द्वारा मारपीट की गयी ओर मारपीट कर उसे गांव लाकर सडक पर छोड गया । इस संबंध में थाना गोहद एवं मौ में उसके पिता के द्वारा रिपोर्ट की गयी । रामाबाई को उसको आई हुयी चोटों से तबियत खराब होने लगी उसे गोहद अस्पताल में दिखाया गया वहां से उसे कमलाराजा अस्पताल भेजा गया जहां उसे भर्ती कराया गया अस्पताल में उसका ईलाज चला । जहां दिनांक 7-1-10 को रामाबाई की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी । मृतिका रामाबाई के ससुराल वालों के द्वारा दहेज में मोटरसायकिल की मांग को लेकर उसे प्रताडित करना एवं उसकी मारपीट करने के कारण उसकी मृत्यु हुयी ।

05. उक्त संबंध में जांच में आये हुये उपरोक्त तथ्यों के आधार पर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट 253/11 धारा 304बी, 498ए भा0द0सं0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया । विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया एवं विवेचनापूर्ण कर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो कि कमिट उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ ।

06. विचारित किए जा रहे आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया धारा 304बी, 302, 302/34, 498ए भा0द0सं0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया । आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई ।

07. दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया ।

अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण ने स्वयं को निर्दोश होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है। बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

08. आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

- 1- क्या दिनांक 7-1-13 को ग्राम आलोली अंतर्गत थाना गोहद जिला भिण्ड में आप आरोपी धर्मसिंह उर्फ धर्मजीत कुशवाह मृतिका रामाबाई के पति होते हुये तथा बाबूसिंह ससुर तथा आरोपी श्रीमती कल्ली बाई सास होते हुये विवाह के सात वर्ष के अंदर रामाबाई से दहेज की मांग को लेकर के और उसके संबंध में क्रूरता कर परिपीडन कारित करते हुये रामाबाई की दहेज मृत्यु कारित की ?
- 2- क्या दिनांक 7-1-13 के करीब ग्राम आलोरी अंतर्गत थाना गोहद जिला भिण्ड में मृतिका रामाबाई पत्नी धर्मसिंह उर्फ धर्मजीत कुशवाह की साआशय या जानबूझकर मृत्यु कर हत्या कारित की ?
- 3- क्या उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर अन्य सह आरोपीगण धर्मसिंह उर्फ धर्मजीतसिंह, बाबूसिंह, श्रीमती कल्ली के साथ मिलकर मृतिका रामाबाई की हत्या करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उसके अग्रसरण में कार्य करते हुये साआशय या जानबूझकर रामाबाई की मृत्यु कारित कर उसकी हत्या की ?
- 4- क्या दिनांक 29-6-12 से 10-1-13 के बीच ग्राम आलोरी अंतर्गत थाना गोहद में मृतिका रामाबाई के पति और पति के नातेदार होते हुये मूल्यवान संपत्ति के रूप में दहेज की मांग को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर क्रूरता कारित की ?
- 5- क्या दिनांक 29-6-12 से 10-1-13 के बीच मृतिका रामाबाई एवं उसके पिता व परिवारवालों को दहेज की मांग एवं दहेज देने के लिये दुष्प्रेरित किया?

**-: सकारण निष्कर्ष:-**

बिन्दु क्रमांक 1 लगायत 5:-

09. परस्पर जुड़े होने एवं साक्ष्य विवेचना की सुगमता को दृष्टिगत रखते हुए सभी बिंदुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

10. दहेज मृत्यु के संबंध में धारा 304बी भा0द0सं0 में प्रावधान किया गया है। उक्त धारा हेतु आवश्यक तत्व हैं कि:-

- 1- किसी स्त्री की मृत्यु दाह या शारीरिक क्षति के द्वारा सामान्य परिस्थितियों के अन्यथा कारित हुयी हो ?
- 2- मृत्यु विवाह के सात वर्ष के अन्दर हुयी हो ?
- 3- मृत्यु के पूर्व उसके पति एवं पति के नातेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता की गयी हो या उसे तंग किया गया हो ?
- 4- उक्त क्रूरता या तंग करने का कृत्य दहेज की मांग को लेकर या उसके संबंध में किया गया हो?
- 5- इस प्रकार की क्रूरता या तंग करने का कृत्य उसकी मृत्यु के कुछ समय पूर्व किया गया हो?

यदि उपरोक्त तथ्यों की पूर्ति हो जाती है तो दहेज मृत्यु मानीजायेगी और ऐसे पति एवं पति के नातेदार मृत्यु कारित करने वाले समझे जायेंगे ।

11. इस संबंध में धारा **113 बी** साक्ष्य अधिनियम भी उल्लेखनीय है जो कि दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा के संबंध में प्रावधान करती है। जिसके अनुसार—“जब प्रश्न यह है कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु कारित की है और यह दर्शित किया गया है कि मृत्यु के ठीक पहले उसे उस व्यक्ति के द्वारा दहेज की मांग के संबंध में परेशान किया गया था अथवा उसके साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया गया था तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की है”।

12. उपरोक्त वैधानिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट होता है कि यदि धारा 304बी भा0द0सं0 के अन्तर्गत दर्शाये गये आवश्यक तत्वों की पूर्ति हो जाती तो उस दशा में ही धारा 113बी साक्ष्य अधिनियम के तहत दहेज मृत्यु की उपधारणा की जायेगी। इस परिप्रेक्ष्य में अभियोजन एवं बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत समग्र दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पर विचार किया जाना उचित होगा।

13. डॉक्टर हीरालाल माझी अ0सा0 1 ने अपने साक्ष्य कथन में दिनांक 07.02.2010 को गजरा राजा मेडीकल कॉलेज ग्वालियर में फोरेंसिक मेडिसन एण्ड टोक्सिको विभाग में प्रदर्शक के पद पर कार्यरत होना और थाना कम्पू के आरक्षक के द्वारा मृतिका रामा पत्नी धर्मसिंह निवासी आरोली का शव परीक्षण किया गया था। शव के परीक्षण में सामान्य कदकाठी की महिला जिसकी दोनों आँखें और मुँह बंद था, मृत्यु पश्चात् की अकडन सारे शरीर में थी और शरीर के भीतरी भाग पर लालिमा दिख रही थी, मुट्ठियाँ खुली हुई थी, पेर खुले हुए थे। मृतिका की मृत्यु पूर्व की चोटें— 1. एक नील की चोट चेहरे के दाहिनी तरफ 6 से.मी. दाहिने काम के आगे थी जिसका आकार 1 गुणा 1 से.मी. था। 2. एक नील का निशान दाहिने कंधे

पर जिसका आकार 1 गुणा 1 से.मी. था। 3- एक नील का चोट, चोट क्रमांक 2 के पास जिसका आकार 1 गुणा 1 से.मी. में था। 4- एक नील की चोट दाहिने पेर के टखने पर 2 गुणा 2 से.मी. आकार की थी। 5- एक नील का चोट दाहिने जाँघ के पीछे 6 गुणा 6 से.मी. आकार की थी। 6- एक रगड़ की चोट गर्दन के दाहिनी तरफ 3 गुणा 3 से.मी. जिसके नीचे ऊतकों में खून लगा हुआ था। मृतक के आंतरिक परीक्षण में पेट में पचा हुआ खाना लगभग 200 सी.सी. था। मस्तिष्क से रक्त स्त्राव हुआ था। इसके अलावा सभी आंतरिक अंग स्वस्थ थे। एक कपड़े की पोटली शीलबंद कर, दो बोतल बिसरा पेक कर शील नमूना शीलबंद कर संबंधित आरक्षक को सौंपा गया था। अभिमत में साक्षी के द्वारा बताया गया है कि मृत्तिका की मृत्यु सिर में आई हुई चोटों के परिणामस्वरूप रक्त स्त्राव होने से परीक्षण के 6 से 24 घण्टे के दौरान हुई थी। मृत्यु की प्रकृति परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर सुनिश्चित की जा सकती हैं उनकी रिपोर्ट प्र.पी. 1 है जिस पर ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने यह भी बताया है कि अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा प्रकरण में बिन्दुओं के आधार पर क्वेरी कराई थी जिस संबंध में क्वेरी रिपोर्ट प्र.पी. 2 है जिस पर ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

14. उपनिरीक्षण आर.पी.शर्मा अ0सा0 8 जो कि दिनांक 01.07.2010 को थाना कम्पू में पदस्थ था। मर्ग की जाँच के दौरान शव का सफीनाफार्म प्र.पी. 3 जारी करना और शव को शव परीक्षण हेतु भेजे जाने के लिए आवेदनपत्र प्र.पी. 1 उनके द्वारा लिखा जाना बताया है। सफीनाफार्म प्र.पी. 3 और लाश पंचायतनामा बनाया जाना साक्षी पातीराम कुशवाह अ0सा0 2 और लक्ष्मण अ0सा0 9 के द्वारा भी बताया गया है। मृत्तिका रामा की मृत्यु हो जाना नक्शा पंचायतनामा प्र.पी. 4 जो कि मृत्तिका की मृत्यु के पश्चात् कार्यपालन मजिस्ट्रेट एवं नायब तहसीलदार रामनिवास सिंह अ0सा0 10 के द्वारा पंचनामा तैयार किया गया है जिसमें कि मृत्तिका की स्थिति का पंचनामा प्र.पी. 4 उनके द्वारा बनाया गया है। अभियोजन साक्षी पातीराम कुशवाह अ0सा0 2, रमेश अ0सा0 3, वियजराम अ0सा0 4, प्रेमसिंह अ0सा0 5, रामजीत अ0सा0 6 एवं नारायण अ0सा0 11 के कथन से भी मृत्तिका रामा बाई की मृत्यु हो जाना स्पष्ट होता है।

15. यह अविवादित है कि रामा बाई का विवाह आरोपी धर्मसिंह के साथ हुआ था और यह भी अविवादित तथ्य है कि अन्य आरोपिया कल्लीबाई रामा बाई की सास हैं और आरोपी बाबूसिंह उसका ससुर हैं। मृत्तिका रामा बाई की मृत्यु दिनांक 07.01.2010 को हुई है जैसा कि इस संबंध में आई हुई साक्ष्य से स्पष्ट है। मृत्तिका रामा बाई का विवाह वर्ष 2003 में आरोपी धर्मसिंह के साथ होना अभियोजन के द्वारा बताया गया है। इस बिन्दु पर साक्षी पातीराम कुशवाह अ0सा0 2 के द्वारा उसकी लडकी की शादी करीब सात साल पहले होना

बताया है। इस बिन्दु पर साक्षी रमेश अ0सा0 3 के द्वारा भी उसकी मृत्यु के सात साल पहले उसका विवाह धर्मसिंह के साथ होना बताया है और साक्षी विजयराम अ0सा0 4 के द्वारा भी मृत्यु के 5-6 साल पहले मृतिका का विवाह आरोपी धर्मसिंह के साथ होने के बारे में अपने साक्ष्य कथन में बताया है। यद्यपि वर्ष 2003 में किस माह में उसका विवाह सम्पन्न हुआ था ऐसा स्पष्ट नहीं आया है, किन्तु इस संबंध में उक्त साक्षीगण के द्वारा किया गया कथन कि मृतिका की मृत्यु विवाह के 6-7 साल के अंदर हुई थी जो कि उक्त तथ्य प्रतिपरीक्षण उपरांत अखण्डनीय रहा है। इस प्रकार मृतिका रामाबाई की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के अंदर होना प्रमाणित है।

16. मृतिका रामा की मृत्यु दिनांक 07.01.2010 को होना प्रमाणित है। मृतिका की मृत्यु की प्रकृति का जहाँ तक प्रश्न है। अभियोजन प्रकरण के अनुसार मृतिका रामा बाई को दहेज की मांग को लेकर आरोपीगण के द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था और इसी के चलते दिनांक 23.12.09 को उसके ससुर बाबूसिंह और सास कल्ली बाई ने थप्पड़ों से तथा पति धर्मसिंह ने धक्का देकर जीने से पटक दिया जिससे उसे चोटें आई और फिर उसका पति धर्मसिंह उसे ग्राम बरारा में रोड पर छोड़कर चला गया था। रामा बाई के द्वारा उक्त बात अपने पिता, भाई व परिवार के अन्य लोगों को बताई गई। रामाबाई जिसकी ससुराल के उक्त लोगों के द्वारा मारपीट करने से चोटें थी उसे इलाज के लिए जे.ए.एच. ग्वालियर में भर्ती किया गया था जहाँ कि चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उपरोक्त संबंध में मृतिका रामा बाई के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतिका की मृत्यु सिर में आई हुई चोटों के कारण रक्त स्राव होने से अपने अभिमत में चिकित्सक डॉक्टर हीरालाल माझी अ0सा0 1 के द्वारा बताया गया है। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गोहद के द्वारा चिकित्सक से क्वेरी कराकर क्वेरी रिपोर्ट भी ली है जो कि प्र.पी. 2 में चिकित्सक के द्वारा मृतिका रामाबाई के सिर में आई चोट ऊँचाई से गिरने से आना संभावित बताई है। इसके अतिरिक्त कन्ट्र्यूजन जो कि शरीर में पाई गई वह दो सप्ताह पुरानी होने के संबंध में क्वेरी रिपोर्ट प्र.पी. 2 में स्पष्ट किया गया है। इस बिन्दु पर लाश का शव पंचायतनामा प्र.पी. 4 जो कि नायब तहसीलदार रामनिवास सिंह अ0सा0 10 के द्वारा तैयार किया गया है, उसमें भी मारपीट से शरीर में आई हुई चोटों के कारण उसकी मृत्यु होने का उल्लेख है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि मृतिका का जे.ए.एच. ग्वालियर में इलाज चला है जो कि उसका इलाज चलने के संबंध में उसके इलाज के केस पेपर की प्रतिलिपि अभियोजन के द्वारा पेश की गई है। यद्यपि उक्त दस्तावेज अभियोजन के द्वारा प्रमाणित नहीं कराया गया है, किन्तु उनसे यह परिलक्षित होता है कि मृतिका का जे.ए.एच. हॉस्पिटल ग्वालियर में इलाज चला है।

इस प्रकार मृतिका की मृत्यु प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में नहीं हुई है, बल्कि उसकी मृत्यु उसके शरीर पर व सिर में आई हुई चोटों के कारण होना स्पष्ट होता है। मृतिका की मृत्यु स्वभाविक मृत्यु होनी अथवा प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में उसकी मृत्यु कारित होना नहीं कही जा सकती। इस प्रकार मृतिका की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों के अन्यथा

17. मृतिका रामा बाई को आई हुई चोटें जिनसे कि उसकी मृत्यु हुई है। उक्त चोटें आरोपीगण के द्वारा साशय या जानबूझकर उसे पहुँचाई जाने के संबंध में अभियोजन प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है। इस संबंध में अभियोजन साक्षी पातीराम कुशवाह अ0सा0 2 जो कि मृतिका का पिता है के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि लडकी ससुराल से उनके यहाँ आती जाती रहती थी। लडकी जब खत्म हुई तब वह उनके यहाँ ही रह रही थी और इसी दौरान वह सीढ़ी से गिर गई थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। उक्त साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान उनके कथनों में इस बिन्दु पर अभियोजन प्रकरण को समर्थन करने वाला कोई तथ्य नहीं आया है। प्रतिपरीक्षण में उनके द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि उसकी लडकी 15 दिन पहले उनके घर आई थी और इस दौरान वह बीमार हो गई थी और बीमार होकर कमजोर हो गई थी और कमजोरी के कारण जीने से गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार इस बिन्दु पर कि आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा मृतिका रामा बाई के साथ मारपीट की गई और उनके द्वारा मारपीट करने के फलस्वरूप आई हुई चोटों के इलाज हेतु उसे भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान उसकी इसी कारण से मृत्यु होने के संबंध में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन उक्त साक्षी के कथन के आधार पर नहीं हुआ है।

18. अन्य अभियोजन साक्षी रमेश अ0सा0 2 के द्वारा भी यह बताया जा रहा है कि उसकी बहन रामा बाई बीमार रहती थी और बीमारी के कारण कमजोर हो गई थी और सीढ़ियों से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी। इसी प्रकार साक्षी विजयराम अ0सा0 4, प्रेमसिंह अ0सा0 5, नारायण सिंह अ0सा0 11 के द्वारा भी अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन इस बिन्दु पर नहीं किया गया है। उक्त साक्षीगण को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है, किन्तु इस दौरान उसके कथनों में इस बिन्दु पर अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं हुआ है। इस प्रकार अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्षी जिनमें कि मृतिका का पिता व भाई एवं अन्य रिस्तेदार शामिल हैं उनके द्वारा कहीं भी मृतिका के साथ आरोपी जो कि उसका पति, सास और सुसर हैं उनके द्वारा किसी प्रकार की मारपीट कर उसे चोटें पहुँचाई जाने का कोई समर्थन नहीं किया है, बल्कि साक्षी पातीराम अ0सा0 2, रमेश अ0सा0 3 के द्वारा जो कि मृतिका के पिता एवं भाई हैं स्पष्ट रूप से प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया



गया है कि मृतिका उनके यहाँ बीमारी हालत में थी और वहीं पर कमजोरी के कारण वह सीढ़ी से गिर पड़ी थी जिस चोटों के कारण ही उसकी मृत्यु हो गई थी।

19. यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन के द्वारा मृतिका रामाबाई का कोई मृत्युकालीन कथन भी पेश नहीं किया गया है जिससे कि उसकी मृत्यु के कारण के संबंध में अभियोजन प्रकरण की पुष्टि हो सके। जहाँ तक अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य जिसमें थाना प्रभारी गोहद एवं थाना प्रभारी मौ को भेजी गई रिपोर्ट और उसके इलाज की शीट का जहाँ तक प्रश्न है जिसमें कि उसकी ससुराल वाले आरोपीगण ने मृतिका को मारपीट करने के संबंध में उल्लेख किया गया है। उक्त उल्लेखित आवेदनपत्र पुलिस को और उसके पिता पातीराम के द्वारा दिया जाना बताया जा रहा है, किन्तु इस संबंध में जैसा कि स्पष्ट है कि पातीराम के द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है और यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त आवेदनपत्र जो कि मात्र फोटोकॉपी है वह भी प्रमाणित नहीं किया गया है और इलाज के संबंध में जो शीट पेश की गई है उसको भी प्रमाणित नहीं किया गया है। केश शीट में उसकी चोटों के संबंध में पिता के द्वारा ही बताया जाना पर उल्लेख किया जाना दर्शित होता है। प्रकरण में अभियोजन के द्वारा ऐसा कोई अन्य साक्ष्य पेश नहीं किया गया है कि या कोई परिस्थिति भी प्रमाणित नहीं है। ऐसी दशा में मृतिका की आरोपीगण के द्वारा साशय या जानबूझकर मृत्यु कारित कर उसकी हत्या कारित करने के संबंध में अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं होती है।

20. जहाँ तक मृतिका रामा बाई से दहेज की माँग करना अथवा दहेज की माँग को लेकर उसे प्रताड़ित किये जाने का बिन्दु है। इस संबंध में साक्षी पातीराम कुशवाह अ0सा0 2 जो कि मृतिका का पिता है के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में कहीं भी आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा मृतिका की मृत्यु के पूर्व किसी प्रकार की दहेज की माँग करने अथवा दहेज की माँग को लेकर उसे परेशान और प्रताड़ित करने के संबंध में कोई बात नहीं बताई थी और इस संबंध में किसी प्राकर की कोई शिकायत पुलिस को न करना बताया है। उक्त साक्षी को अभियोजन के द्वारा उक्त बिन्दु पर पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान उसके कथनों में अभियोजन प्रकरण का समर्थन व पुष्टि करने वाला कोई भी तथ्य नहीं आया है जिससे कि इस बात की पुष्टि हो कि आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा दहेज के रूप में मृतिका की मृत्यु के ठीक पूर्व दहेज की कोई माँग की गई हो। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी रमेश अ0सा0 3 जो कि मृतिका का भाई है, विजयराम अ0सा0 4 जो कि मृतिका का चाचा है एवं नारायण अ0सा0 12 के कथनों में भी कहीं भी मृतिका को उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आरोपीगण के द्वारा दहेज की माँग करने अथवा दहेज की माँग को लेकर

उसे परेशान व प्रताडित कर उसके प्रति क्रूरता किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं आया है।

21. इस प्रकार मृतिका रामा बाई को उसके पति आरोपी धर्मसिंह अथवा सास, ससुर के द्वारा उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व दहेज की मांग को लेकर किसी प्रकार से प्रताडित या परेशान कर उसके प्रति क्रूरता कारित किए जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं है, जबकि धारा 304बी भा0दं0वि0 के अंतर्गत अपराध प्रमाणित करने के लिए उक्त तथ्य आवश्यक तत्व है। इस संबंध में धारा 113बी साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत उपधारणा तभी की जा सकेगी जबकि उक्त आवश्यक तत्व की पूर्ति होती हो।

22. मृतिका रामाबाई को उसके पति आरोपी धर्मसिंह, सास कल्ली व ससुर बाबूसिंह के द्वारा मृतिका को विवाह के पांच साल उपरांत परेशान व प्रताडित किया जाना और उसके प्रति क्रूरता का जहाँ तक प्रश्न है, इस बिन्दु पर अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षी पातीराम कुशवाह अ0सा0 2 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यद्यपि आरोपीगण के द्वारा दहेज की मांग कर या किसी अन्य प्रकार से उसे परेशान व प्रताडित किये जाने की बात उसे न बताना अभिकथित किया है, किन्तु साक्षी के द्वारा उसकी लडकी रामा को अच्छी तरह से रखने में सहमत होने के संबंध में उसके पति, सास, ससुर के द्वारा अच्छी तरफ से रखने में सहमत होने और इस संबंध में पंचनामा प्र.पी. 7 बनाया जाना अपने कथन में बताया है। प्र.पी. 7 का दस्तावेज अभिलेख पर मौजूद है। उक्त प्र.पी. 7 का पंचनामा बनाया जाना रामजीत अ0सा0 6 के द्वारा भी प्रमाणित किया गया है जिनके पंचनामा प्र.पी. 7 पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है और उक्त पंचनामा प्र.पी. 7 पर सी से सी भाग पर साक्षी नारायण के द्वारा भी अपने हस्ताक्षर होना बताया है। अभियोजन के द्वारा उक्त पंचनामा दिनांक 26.08.2008 की जप्ती प्र.पी. 6 के अनुसार विवेचना अधिकारी एस.डी.ओ.पी. जी. पी.शाक्य अ0सा0 7 के द्वारा की जानी बताई गई है। अभियोजन के द्वारा अपने तर्क में व्यक्त किया गया है कि उक्त पंचनामे के आधार पर इस बात की पुष्टि होती है कि रामाबाई को आरोपीगण परेशान व प्रताडित करते थे।

23. पंचनामा प्र.पी. 7 जो कि अभिलेख पर मौजूद है का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में उक्त पंचनामा केवल इस बात का उल्लेख है कि रामाबाई की दो पुत्रियाँ हैं और रामाबाई की सीधेपन होने से उसका पति धर्मसिंह घर में रखने से इंकार कर रहा है और समझौता के आधार पर यह सहमति बनी है कि रामाबाई अपने पति के घर पर प्रेम पूर्वक रहकर जीवन का भरण पोषण करेगी। उक्त पंचनामा पर कहीं भी रामाबाई को किसी प्रकार से परेशान या प्रताडित किये जाने अथवा उससे किसी प्रकार की कोई दहेज की मांग किये जाने

के संबंध में कोई तथ्य नहीं आया है। ऐसी दशा में दस्तावेज प्र०पी० 7 के आधार पर आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा रामाबाई को किसी भी प्रकार से प्रताडित करने अथवा उसके साथ कूरता करने के संबंध में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

24. आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा मृतिका रामा बाई से या उसके परिवार जनों से विवाह के समय या विवाह के उपरान्त मूल्यवान प्रतिभूति की मांग किये जाने के संबंध में कोई भी अभियोजन साक्ष्य मौजूद नहीं है। ऐसी दशा में मृतिका या उसके परिवारजनों से किसी प्रकार की कोई दजेज की मांग आरोपीगण के द्वारा किया जाने का तथ्य भी प्रमाणित नहीं होता है। उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन का प्रकरण आरोपीगण के विरुद्ध किसी भी प्रकार से युक्तियुक्त रूप से प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है।

25. आरोपीगण धर्मसिंह, कलावती उर्फ कल्ली एवं बाबूसिंह को धारा 304बी बिकल्प में धारा 302 विकल्प में 302/34, 498ए भा०द०सं० एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड